झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार
खान एव भूतत्व विभाग
खान निदेशालय
विज्ञप्ति
खनिज परिवहन वाहनों में GPS लगाने की अनिवार्यता के संबंध में सूचना

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 राज्य में प्रभावी है जिसके नियम (5)(ii) के अनुसार सभी खनिज को खनिज परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को JIMMS Portal पर 60 दिनों के अन्दर GPS आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली के साथ पंजीकृत कराने का प्रावधान है परन्तु कई लीजधारी/परिवहन कर्त्ता द्वारा अभीतक इसका अनुपालन नहीं की गयी है।

एतद द्वारा खनिज परिवहन में सम्बद्ध सभी वाहन धारक/खनन पट्टेधारी, खनिज अनुज्ञप्तिधारियों, खनिज परिवहनकर्त्ता एवं खनिज व्यवसायिओं को यह निदेश दी जाती है कि उपर्युक्त के संदर्भ में झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य में खनिजों का परिवहन नियमानुकुल किये जाने हेतु खनिज परिवहन में उपयोग किये जाने वाले वाहनों की ट्रैकिंग के लिए एक Global Positioning System (GPS) आधारित प्रणाली शुरू करते हुए वाहन ट्रैकिंग डिवाईस (VTD) के आपूर्तिकत्ताओं को Empanel किया गया है, जिसकी सूची एवं विवरणी विभाग के वेबसाइट **http://jharkhandminerals.gov.in** पर उपलब्ध है।

उपरोक्त के आलोक में –

1. सूचीबद्ध (empanelled) विक्रेता जिनकी सूची एवं मॉडल निर्धारित की जा चुकी है और जिसे विभाग के उपर्युक्त वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है, से कोई भी वाहन ट्रैकिंग डिवाईस (VTD/GPS) किसी भी एजेंसी से प्राप्त कर लगाया जा सकता है।
2. वाहन धारक/खनन पट्टेधारी/खनिज डीलर VTD को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा विकसित वाहन ट्रैकिंग सॉल्यूशन के साथ फिटिंग, सक्रियण और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सूचीबद्ध विक्रेता और वाहन धारकों/खनन पट्टेधारियों/खनिज डीलरों के बीच कोई वाणिज्यिक या अन्य व्यवस्था उनके बीच की पारस्परिक सहमति से होगी।
3. सूचीबद्ध विक्रेता द्वारा प्रदत्त किसी भी VTD को लगाना इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ **(60) दिनों** के अन्दर सभी खनिज वाहन हेतु अनिवार्य होगी।
4. The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के प्रावधानों के आलोक में कोई भी वाहन किसी भी वृहद या लघु खनिजों या किसी भी अयस्क का परिवहन नहीं करेगा (जैसा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और उसके बाद के संशोधनों में परिभाषित हैं) जबतक कि उक्त वाहन में निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप वाहन ट्रेकिंग डिवाइस (VTD) नहीं लगाया गया हो।

उपर्युक्त आदेश का अनुपालन निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा खनिज परिवहन चालान तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(फैज अक अहमद मुमताज)
भा०प्र०से०
निदेशक, खान
26/12/18